न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 42/2023

श्री रामकिशोर मीणा पुत्र श्री गेन्दीलाल मीणा निवासी ग्राम गोविन्दपुरा (सीदड़ा) तहसील निवाई जिला टोंक

--अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी निवाई

--प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

<u>निर्णय</u> दिनांक **15.01.2024**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा द्वारा लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी निवाई को आवेदन पत्र दिनांक 17.10.2023 को प्रस्तुत किया। अपीलाण्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही है –

1. प्रशासन गाँव के संग दिनांक 29.05.2023 को आम ग्रामवासी गोविन्दपुरा द्वारा शमशान सिवाय चक भूमी ख० नं0 96/1 का रास्ता फिर खुलवाने एवं रास्ता शीट मे तरमीम करने का प्रार्थना पत्र कमांक 7 दिनांक 29.05.2023 को कैम्प में दिया गया था। अब तक भी रास्ता नहीं खोला गया अतिक्रमीयों का अतिक्रमण नहीं हटाया गया आपके द्वारा की गई कार्यवाही की प्रमाणितशुदा प्रतिलिपियॉ उपलब्ध कराने की कृपा करे एवं 12.03.2023 को भी प्रार्थना पत्र उक्त सन्दर्भ में दिया गया था।
2. कार्यालय जिला कलेक्टर टोंक के पत्र कमांक 3724 दिनांक 20.07.2023 जनसुनवाई के प्रार्थना पत्र मय आदेश के श्रीमान को प्राप्त हुआ होगा लेकिन अब तक भी शीट पुरानी के मुताबीक रास्ता नहीं खोला गया और न ही नई सीट में आदेश अति0 जिला कलेक्टर सा0 के मुताबिक तरमीम किया गया। अतः आप द्वारा की गई कार्यवाही के दस्तावेज उपलब्ध कराने की कृपा करे एवं पुरानी शीट गोविन्दपुरा के खसरा नं0 96/1 में रास्ता दर्शाया हुआ जिसको रामगोपाल गिरदावर द्वारा नापने से मना कर दिया अतः निवेदन है कि शीट में जो रास्ता दर्शाया हुआ है वह मान्य है या नहीं।
3. कार्यालय जिला कलेक्टर टोंक के पत्र कमांक 3639 दिनांक 20.07.2023 का मय ग्रामवासी ढाणी जुगलपुरा, गोविन्दपुरा के हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन जनसुनवाई का श्रीमान अति0 जिला कलेक्टर साहब द्वारा तत्काल अतिकमण ढाणी जुगलपुरा निवाई प्रथम के चरागाह खसरा नं. 687/1 का हटाने का आदेश फरमाया था लेकिन अभी तक राजस्व विभाग द्वारा अतिकमण नहीं हटाया गया। अब तक अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के पूर्ण दस्तावेज उपलब्ध कराने की कृपा करें।

जिला कलेक्टर

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी निवाई को पत्र कमांक 1173 दिनांक 14.12.2023 एवं पत्रांक 1 दिनांक 01.01.2024 प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी निवाई द्वारा पत्र कमांकः 11794 दिनांक 27.12.2023 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही जा रही सूचना के संबंध में अपीलार्थी को उनके पत्र कमांक 10163 दिनांक 10.11.2023 से सूचना उपलब्ध करा दी गई है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी निवाई तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(डॉ. सौम्या झा)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक